

# विषय सूची

<b>प्राक्कथन</b>		v
<b>कार्यपालिक सारांश</b>		vii
<b>अध्याय I</b>		
<b>राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध</b>		
1.1	प्रस्तावना	2
1.2	वर्ष 2016-17 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश	3
1.3	राज्य के संसाधन	16
1.4	राजस्व प्राप्तियाँ	18
1.5	पूँजीगत प्राप्तियाँ	28
1.6	लोक लेखा प्राप्तियाँ	29
1.7	संसाधनों का उपयोग	30
1.8	व्यय की गुणवत्ता	39
1.9	सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	46
1.10	परिसम्पत्तियाँ और देयताएं	56
1.11	राजकोषीय असंतुलन	64
1.12	ऋण प्रबंधन	69
1.13	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	70
<b>अध्याय II</b>		
<b>वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण</b>		
2.1	प्रस्तावना	73
2.2	विनियोग लेखाओं का सारांश	74
2.3	वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबंधन	75
2.4	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	103
2.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें	110
2.6	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	113
<b>अध्याय III</b>		
<b>वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग</b>		
3.1	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	115
3.2	लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना	116
3.3	स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	117
3.4	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	118
3.5	दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि	118
3.6	निजी निक्षेप खाते	119
3.7	लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ के अन्तर्गत पुस्तांकन	122
3.8	पुस्तक समायोजन	123
3.9	प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान	123
3.10	उच्चन्त लेखाओं के अन्तर्गत बकाया शेष	124
3.11	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	126

विषय सूची

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	राज्य की रूपरेखा	129
परिशिष्ट 1.2	भाग-अ सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप भाग-ब वित्त लेखे का खाका	130 131
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़े	133
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2016-17 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	135
परिशिष्ट 1.5	31 मार्च 2017 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति	138
परिशिष्ट 1.6	2016-17 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक आँकड़े	140
परिशिष्ट 1.7	भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अधिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण-पत्र	143
परिशिष्ट 1.8	वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	146
परिशिष्ट 1.9	विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र	147
परिशिष्ट 1.10	कर्जदाताओं द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	148
परिशिष्ट 1.11	भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्यौरा	150
परिशिष्ट 1.12	भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र	151
परिशिष्ट 1.13	निवेश जिनके लेखे प्रस्तुत नहीं किये, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	152
परिशिष्ट 1.14	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	153
परिशिष्ट 1.15	पिछले 10 वर्षों में राजस्थान सरकार की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन के परिणाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र	156
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था	157
परिशिष्ट 2.2	व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक था)	158
परिशिष्ट 2.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थी	163
परिशिष्ट 2.4	विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र जहाँ वर्ष 2014-17 के दौरान निरन्तर बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थी	164
परिशिष्ट 2.5	प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये	171
परिशिष्ट 2.6	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अन्तिम आधिक्य/बचत ₹ एक करोड़ से अधिक था)	172
परिशिष्ट 2.7	31 मार्च 2017 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की बचतों के अभ्यर्पण के प्रकरण	174
परिशिष्ट 2.8	₹ एक करोड़ से अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	176
परिशिष्ट 2.9	एक मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)	177
परिशिष्ट 2.10	वास्तविक बचतों/आधिक्य से अधिक अभ्यर्पण का विवरण (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक)	182
परिशिष्ट 2.11	प्रकरण जिनमें पिछले दो से चार वर्षों तक सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे	183
परिशिष्ट 2.12	योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	185
परिशिष्ट 2.13	बैंक खातों में शेषों का विवरण	188
परिशिष्ट 2.14	31 मार्च 2017 को असंचालित/बन्द योजनाओं में अनुपयोजित शेषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	190
परिशिष्ट 2.15	निजी/राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त सरकारी व्यवहारों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण-पत्र	191
परिशिष्ट 2.16	एक योजना के लिए बैंक खातों की बहुलता का विवरण	193
परिशिष्ट 2.17	सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोजित रहना	194
परिशिष्ट 2.18	वर्ष 2016-17 तक बकाया सारांशीकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	195

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 3.1	30 जून 2017 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	197
परिशिष्ट 3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	198
परिशिष्ट 3.3	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र	201
परिशिष्ट 3.4	दुर्विनियोजन चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहाँ जून 2017 के अन्त तक अन्तिम कार्यवाही लंबित थी)	202
परिशिष्ट 3.5	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	203
परिशिष्ट 3.6	वर्ष 2012-17 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	204
परिशिष्ट 3.7	मुख्य शीर्ष '8658-उच्चत लेखे' के अन्तर्गत बकाया शेष	205
परिशिष्ट 4.1	पदों की पारिभाषिक शब्दावली	206